[2019] 1 एस. सी. आर. 17

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और ओआरएस। ईटीसी।

वी.

के. जयचंद्र और ए. एन. आर. ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 219-222 2019 का)

09 जनवरी, 2019

[अरुण मिश्रा और वाइन सरन, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

एस। 52 (अधिनियम 27/2000 द्वारा संशोधित)-मोटर वाहन में परिवर्तन-अनुमेय सीमा-आयोजितः संशोधन का उद्देश्य ही

एस. 52 (1) एक वाहन के परिवर्तन को प्रतिबंधित करना है-एस के लिए स्पष्टीकरण। 52 यह कहता है कि "परिवर्तन" का अर्थ है वाहन की संरचना में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप इसकी मूल विशेषता में परिवर्तन होता है-इस प्रकार, जो परिवर्तन मूल विशेषताओं को नहीं बदलते हैं, वे परिवर्तन के दायरे से बाहर हैं, हालांकि वाहन को इसका पालन करना पड़ता है मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों, नियमों को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-उच्च न्यायालय एस में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने में विफल रहा है। 52 (1) और केवल नियमों पर जोर दिया है-केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

- आर. 126 - केरल मोटर वाहन नियम, 1989-rr. 96 , 103 और 261।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

किसी भिन्न प्रकार के ईंधन या बैटरी आदि सहित ऊर्जा के स्रोत द्वारा अपने संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी वाहन का ऐसा संशोधन इस प्रकार के प्रावधान के अधीन किए जाने की अनुमति है। शर्तें जो निर्धारित की जाएं। धारा 52 (1) का दूसरा प्रावधान केंद्र सरकार को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि

विनिर्देश, अनुमोदन के लिए शर्तें, पूर्वानुमेय और अन्य

इस तरह के रूपांतरण किट के लिए संबंधित मामले। द सेंट्रल

सरकार के पास किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वाहनों को बदलने के लिए छूट देने की शक्ति है। धारा 52 (2) राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने और किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व की अनुमति देने के लिए अधिकृत करती है। उसके स्वामित्व वाले किसी भी वाहन को बदलने के लिए कम से कम 10 परिवहन वाहन, ताकि पंजीकरण प्राधिकरण की मंजूरी के बिना 'इंजन' को उसी प्रकार के इंजन से बदला जा सके। धारा 52 (3) में प्रावधान है कि जहां परिवर्तन पंजीकरण प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया गया है, जाहिर है कि जो मोटर वाहन में अनुमेय है, वाहन के मालिक को पंजीकरण के विवरण में प्रविष्टि करने के लिए 14 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। धारा 52 (2), (3), (4) और (5) के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 52 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "परिवर्तन" का अर्थ संरचना में परिवर्तन है।

एक ऐसे वाहन का, जिसके परिणामस्वरूप इसकी मूल विशेषता में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन मूल विशेषताओं को नहीं बदलते हैं, वे परिवर्तन के दायरे से बाहर हैं। [पैरा 27] [199-बी-जी]

2. वाहन को केंद्रीय नियमों के अध्याय V में निहित नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा जैसा कि नियम में दिया गया है।

92 (1) . नियम 92 (1) को 1988 के अधिनियम की धारा 52 में निहित प्रावधानों के अधीन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और क्या निषिद्ध है।

उसमें इसकी अनुमति देना अध्याय में निहित नियमों का इरादा नहीं है। अध्याय 5 के विभिन्न प्रावधान धारा 52 (1) में निषिद्ध अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हैं, अर्थात निर्माताओं द्वारा मूल रूप से जो निर्दिष्ट किया गया है और एक बार पंजीकरण प्रमाण पत्र में जो विवरण दर्ज किया गया है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। निर्माता द्वारा बनाए गए मूल विनिर्देश को बदलने के लिए किसी भी वाहन को बदला नहीं जा सकता है। [पैरा 32] [206-एफ-एच]

126 उन एजेंसियों द्वारा सड़क पर वाहन की योग्यता के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो उसमें निर्दिष्ट हैं। इन नियमों के अनुपालन के लिए मोटर वाहनों की मंजूरी और प्रमाणन इस प्रकार होगा ए. आई. एस. के अनुसारः 017-2000 . नियम 93 मोटर वाहनों के समग्र आयामों जैसे चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ओवरहैंग आदि से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाहन को नियमों के अनुरूप भी होना चाहिए, लेकिन नियमों की इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय v.

के. जयचंद्र

ताकि अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत निषिद्ध परिवर्तन की अनुमति दी जा सके। नियमों के तहत परिवर्तन की अनुमति है सिवाय इसके कि

जैसा कि धारा 52 द्वारा निषिद्ध है। नियमों का विनिर्देशन उन मामलों के संबंध में अच्छा होगा जो धारा 52 (1) के तहत विशेष रूप से शामिल नहीं हैं और निर्माता द्वारा उसमें निर्दिष्ट नहीं हैं। धारा 52 (1) का जोर "निर्माता द्वारा मूल विनिर्देशों" को बदलना नहीं है। पंजीकरण प्रमाणपत्र में शेष विवरणों को संशोधित और बदला जा सकता है और अनुभाग में दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में नोट किया जा सकता है। 52 (2) , (3) और (5) और नियम। धारा 52 (5) के तहत, यदि कोई व्यक्ति किराया खरीद समझौते पर वाहन रखता है, तो वह

मूल मालिक की लिखित सहमति के अलावा कोई परिवर्तन नहीं करेगा। [पैरा 32] [207-ए-डी]

4. विवादित निर्णय में, उच्च न्यायालय धारा 52 (1) में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने में विफल रहा है और केवल नियमों पर जोर दिया। इस प्रकार, निर्णय दिया गया

डिवीजन बेंच द्वारा कानून को सही ढंग से निर्धारित किया जाना नहीं कहा जा सकता है। नियम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं और पंजीकरण के प्रमाण पत्र में विवरण भी बदले जा सकते हैं, सिवाय निर्माता द्वारा मूल रूप से किए गए विनिर्देशों के अनुसार उसी में की गई प्रविष्टियों की सीमा के। परिपत्र संख्या 7/2006 को भी इसी भाव से पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 33] [207-ई-एफ]

अविषेक गोयनका (1) v. भारत संघ और ए. एन. आर. (2012) 5

एस. सी. सी. 321 [2012] 4 एस. सी. आर. 35 पर निर्भर था।

आर. रामासामी बनाम सचिव, परिवहन मंत्रालय, चेन्नई और अन्य। (2009) 1 Mad.LJ 1027; मोहम्मद। जावीद वी. भारत संघ और अन्य। (2001) 9 ALD 88 = 2009 1 ALT 507; वी. एन. वी. एन. धर्माकृष्णन वी. डिप्टी

परिवहन आयुक्त एयर 2006 मैड। 340 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 4 एससीआर 35

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

(2009) 1 Mad.LJ 1027

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

2009 1 एएलटी 507

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

पै

रा 26

एयर 2006 मैड। 340

[201

9] 1 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 219 -

222 2019 से।

केरल उच्च न्यायालय के एर्नाकुलम में डब्ल्यू. पी. सं. 1 के निर्णय और आदेश से। 28702 2007-पी, 2010-एम का 1323,2010-जी का 1468 और 2012-एच का 274।

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 223।

अमन लेखी, एएसजी, केवी विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रवि रघुनाथ, धनंजय बी. रे, मुकुंद राव, सुश्री वृंदा भंडारी, वेंकटरमण

वी. आर., निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, ए. अनवर, रीगन एस. बेल, जोगी स्कारिया, मोहन प्रसाद गुप्ता, संजय कुमार त्यागी, भरत सिंह, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. इसमें शामिल प्रश्न मोटर वाहन में धारा 52 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुमेय परिवर्तन के बारे में है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 126 और केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 96,103 और 261 का प्रभाव। केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (संक्षेप में "केंद्रीय नियम") नामक नियम बनाए हैं और अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल सरकार ने केरल मोटर वाहन नियम, 1989 (इसके बाद "केरल नियम" के रूप में संदर्भित) बनाए हैं। परिवहन आयुक्त, केरल द्वारा सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को जारी किए गए परिपत्र संख्या 7/2006 की वैधता में कहा गया है कि प्रोटोटाइप परीक्षण प्रमाण पत्र का उल्लंघन करते हुए निर्मित वाहन का मुख्य भाग और जो निर्माता द्वारा दिए गए विनिर्देशों के सख्त अनुपालन में नहीं बनाया गया था, उसे पंजीकरण से वंचित किया जाना चाहिए। इसके अनुसार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों ने कुछ मोटरों को अनुमति नहीं दी।

धारा 52 और परिपत्र में निहित प्रावधानों को देखते हुए वाहन। जैसे ही उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं

एर्नाकुलम में केरल।

3. 2006 की रिट याचिका (सी) No.29946 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 16.1.2007 पर निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय नियमों के नियम 126 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी v.

के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

केरल नियमों, विशेष रूप से नियम 96,103 और 261 के संदर्भ में अपने विवेक का बुद्धिमानी से प्रयोग करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों की शक्तियों को बाधित नहीं करता है; जबकि एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा 2007 की रिट याचिका (सी) No.8836 में दिनांकित 23.5.2007 आदेश के माध्यम से एक विपरीत विचार लिया गया था और यह देखा गया था कि केंद्रीय नियमों के नियम 126 के संदर्भ में प्रोटोटाइप परीक्षण के अपमान में परिवर्तन को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। 4. परिपत्र संख्या 7/2006 को रद्द करने के लिए 2007 की रिट याचिका (सी) No.28702 और 3.7.2007 अस्वीकार करने वाले पंजीकरण पर पारित आदेश दायर किया गया था।

5. पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा पंजीकरण से इनकार करने के संबंध में 2010 की रिट याचिका (सी) Nos.1323 और 1468/2010 दायर की गई थी।

चेसिस के ऊपर निर्मित शरीर 15 सेंटीमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। चेसिस से परे जो द्वारा दिए गए विनिर्देशों का पालन नहीं कर रहा था

वाहन का निर्माता।

6. 2012 की रिट याचिका (सी) No.274 वाहन के मालिक द्वारा उपरोक्त नियम को देखते हुए पंजीकरण से इनकार पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई थी और

वृत्ताकार। 2012 की एक और रिट याचिका (सी) No.274 उस वाहन का पंजीकरण देने से इनकार करने के खिलाफ दायर की गई थी जिसे वाहन के चेसिस को पीछे के छोर पर एक फुट से काटकर अनधिकृत तरीके से 'रिकवरी वाहन' के रूप में फिर से मॉडल किया गया था, जो केंद्र के नियम 126 के संदर्भ में प्रोटोटाइप परीक्षण के अनुरूप नहीं था। नियम।

7. के मुद्दे के संबंध में 2006 की रिट याचिका (सी) No.29946 और 2007 की रिट याचिका (सी) No.8836 में निर्णयों में संघर्ष को देखते हुए

परिवर्तन कि क्या परिवर्तन के साथ भिन्नता की अनुमति है

प्रोटोटाइप परीक्षण प्रमाणन में निहित निर्माता के विनिर्देश, मामले को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ को भेजा गया था। उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं में पारित सामान्य निर्णय से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संरचनात्मक परिवर्तन की अनुमति है

केरल नियमों के प्रावधान। 2006 की रिट याचिका (सी) No.29946 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार को बरकरार रखा गया है इसलिए इस न्यायालय में अपीलों को प्राथमिकता दी गई है। इस न्यायालय ने 16.4.2013 पर विवादित निर्णय और आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है। मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को उसके सचिव के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था, और श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था

अदालत।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. यह रिट याचिका (सी) के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से स्पष्ट है।

2007 का No.28702 कि यह मध्यम वाणिज्यिक बस चेसिस का मामला था। पंजीकरण को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि बस के प्लेटफार्म को 37 सेंटीमीटर की दूरी तक बढ़ा दिया गया था। और शरीर का विस्तार 39 सेंटीमीटर था। चेसिस के अंतिम पिछले छोर से। गाड़ी की लंबाई 39 सेंटीमीटर थी। मॉडल टाटा बस चेसिस के तकनीकी विनिर्देशों में 757.5 सेमी की निर्दिष्ट लंबाई है। शरीर के निर्माण के बाद, इसकी कुल लंबाई 796.5 सेमी थी।

9. इसी तरह, 2010 की रिट याचिका (सी) No.1323 और 2010 की रिट याचिका (सी) No.1468 में, शरीर को चेसिस के ऊपर बनाया गया था।

15 से. मी. चेसिस से परे। 2012 की रिट याचिका (सी) No.274 में वाहन के चेसिस को पीछे के छोर पर एक फुट से काटकर वाहन को पुनर्प्राप्ति वाहन के रूप में फिर से मॉडल किया गया था। 2006 की रिट याचिका (सी) No.29946 में, परिवर्तन से पहले वाहन का भार रहित वजन 2315 किलोग्राम था। और इसे 2715 किलोग्राम तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, शरीर के माप में बदलाव हुए जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया। 2007 की रिट याचिका (सी) No.8836 में, प्रोटोटाइप के अनुसार वाहन की चेसिस की लंबाई 832.5 थी।

से. मी. लेकिन शव के निर्माण के बाद इसे 885 सेमी तक बढ़ाया गया था।

10. अधिनियम की धारा 52 मोटर वाहन में परिवर्तन से संबंधित है। इससे पहले, मोटर वाहनों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान था

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 32 में निहित है। 1939 के अधिनियम की धारा 32 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

" धारा 32: मोटर वाहन में परिवर्तन

(1) मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को इस तरह से नहीं बदलेगा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में निहित विवरण अब नहीं हैं।

सटीक, जब तक कि

(क) उसने उस पंजीकरण प्राधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है, उस परिवर्तन के बारे में सूचना दी है जो वह करने का प्रस्ताव करता है, और

(ख) उसने पंजीकरण प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर ली है

इस तरह का बदलाव करें:
बशर्ते कि फिटिंग या सहायक उपकरणों को जोड़ने या हटाने के परिणामस्वरूप मोटर वाहन के बिना लदे वजन में कोई बदलाव करने के लिए ऐसी मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, यदि -

इस तरह का परिवर्तन दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए वजन का।

(2) जहाँ एक पंजीकरण प्राधिकरण को उप के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है

धारा (1), वह, उसकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, डाक द्वारा वाहन के मालिक को इसकी मंजूरी के बारे में सूचित करें

प्रस्तावित परिवर्तन या अन्यथाः

बशर्ते कि जहां मोटर वाहन का मालिक नहीं है

सात की उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई संचार प्राप्त किया

दिन, प्रस्तावित परिवर्तन के लिए ऐसे प्राधिकरण की मंजूरी

यह माना जाएगा कि दिया गया है।

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत कर सकती है - ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं,

(4) जहाँ मोटर वाहन में भी कोई परिवर्तन किया गया हो। दिए गए या माने गए पंजीकरण प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ

उप-धारा (2) के तहत या किसी परिवर्तन के कारण दिए गए हैं। उप-धारा (3) के तहत इस तरह की मंजूरी के बिना अपने इंजन संख्या में,

निर्माण के चौदह दिनों के भीतर वाहन का मालिक

निर्धारित शुल्क के साथ उस प्राधिकरण में पंजीकरण आदेश दें कि परिवर्तन का विवरण उसमें दर्ज किया जा सके।

(5) मूल पंजीकरण के अलावा एक पंजीकरण प्राधिकरण

इस तरह की कोई भी प्रविष्टि करने वाला प्राधिकारी विवरण के बारे में सूचित करेगा

मूल पंजीकरण प्राधिकरण में प्रविष्टि "।

(जोर दिया गया)

11. मूल अधिनियम के तहत मोटर वाहन में परिवर्तन से निपटा जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 में। धारा 52 मूल रूप से

एड यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 52. मोटर वाहन में परिवर्तन। (1) मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को इस तरह से नहीं बदलेगा कि

पंजीकरण प्रमाणपत्र में निहित विवरण अब नहीं हैं

सटीक, जब तक कि।

(क) उसने उस पंजीकरण प्राधिकारी को नोटिस दिया है जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका निवास स्थान या व्यवसाय का स्थान है जहाँ वाहन सामान्य रूप से रखा जाता है, जैसा भी मामला हो, वह उस परिवर्तन के बारे में है जो वह करने का प्रस्ताव करता है; और

(ख) उसने उस पंजीकरण प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली है -

इस तरह का बदलाव करें:

बशर्ते कि फिटिंग या सहायक उपकरणों को जोड़ने या हटाने के परिणामस्वरूप मोटर वाहन के बिना लदे वजन में कोई बदलाव करने के लिए ऐसी मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, यदि -

इस तरह का परिवर्तन पंजीकरण के प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए वजन के दो प्रतिशत से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि बैटरी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या तरल पेट्रोलियम गैस के अलावा किसी अन्य ईंधन या ऊर्जा के स्रोत सहित किसी अलग प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के स्रोत द्वारा अपने संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी वाहन के इंजन या उसके किसी भाग का संशोधन एक परिवर्तन के रूप में माना जाएगा, लेकिन वह होगा -

ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जाएं।

(2) जहां किसी पंजीकरण प्राधिकरण को उप-धारा (1) के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, वह उसकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, वाहन के मालिक को प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी मंजूरी या अन्यथा डाक द्वारा सूचित करेगा:

(4) जहां किसी मोटर वाहन में कोई परिवर्तन या तो दिए गए पंजीकरण प्राधिकरण के अनुमोदन से किया गया है या माना गया है - उप-धारा (2) के तहत या किसी परिवर्तन के कारण दिए गए हैं।

उप-धारा (3) के तहत इस तरह की मंजूरी के बिना अपने इंजन संख्या में, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय v.

के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

निर्माण के चौदह दिनों के भीतर वाहन का मालिक

परिवर्तन की सूचना पंजीकरण प्राधिकरण को दें।

जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है और प्रमाणपत्र को आगे बढ़ाएगा।

आदेश दें कि परिवर्तन का विवरण उसमें दर्ज किया जा सकता है। (5) मूल पंजीकरण के अलावा एक पंजीकरण प्राधिकरण

इस तरह की कोई भी प्रविष्टि करने वाला प्राधिकारी विवरण के बारे में सूचित करेगा

मूल पंजीकरण प्राधिकरण में प्रविष्टि।

(6) किराया-खरीद समझौते के तहत वाहन रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं

उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण प्राधिकरण की आवश्यकता है सिवाय इसके कि पंजीकृत मालिक की लिखित सहमति।

(जोर दिया गया)

12. धारा 52 में संशोधन अधिनियम के माध्यम से परिवर्तन हुआ है।

00. संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण 27 /

इसे नीचे निकाला गया हैः

" 2000 का संशोधन अधिनियम 27-उद्देश्यों का विवरण और

कारण। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 समेकित और

सड़क परिवहन को विनियमित करने वाले विभिन्न कानूनों को तर्कसंगत बनाया। उक्त अधिनियम 1994 में इसमें संशोधन किया गया था।

2. उपरोक्त अधिनियम में और संशोधन किए गए हैं

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक

सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। इसलिए इसे प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

टायरों के परिवर्तन सहित किसी भी तरह से वाहनों का परिवर्तन उच्च क्षमता। हालांकि, एक दृश्य के साथ वाहनों का परिवर्तन

तरलीकृत सहित पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को सुविधाजनक बनाना।

पेट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा, यह प्रस्तावित है

परिवर्तन की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करना। कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए वाहन।

3. वर्तमान में, शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है

उनके स्वामित्व वाली बसों के संचालन के लिए परमिट। यह प्रस्तावित है

इन संस्थानों द्वारा संचालित बसों को इसके दायरे में लाना

उन्हें परमिट प्राप्त करने की अपेक्षा करके उपरोक्त अधिनियम।

4. परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है।

और मोटर वाहन अधिनियम, [2019] 1 एस. सी. आर. के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

1939 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नवीनीकरण किया जाएगा

नई धारा 217-ए अंतःस्थापित करना।

5. प्रस्तावित संशोधन समग्र हित में आवश्यक हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना। ”

(जोर दिया गया)

13. यह स्पष्ट है कि धारा 52 को इस उद्देश्य के साथ संशोधित किया गया है।

टायरों के परिवर्तन सहित किसी भी तरह से वाहनों के परिवर्तन पर प्रतिबंध

घेर क्षमता, सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। धारा 52 को संशोधन 7/2000 के आधार पर निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया गया हैः

" 52. मोटर वाहन में परिवर्तन।

(1) मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को इस तरह से नहीं बदलेगा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में निहित विवरण अलग-अलग हैं।

निर्माता द्वारा मूल रूप से निर्दिष्ट लोगों के साथः

बशर्ते कि जहां एक मोटर वाहन का मालिक करता है

वाहन के इंजन या उसके किसी भाग का संशोधन

विभिन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के स्रोत द्वारा इसके संचालन को सुविधाजनक बनाना।

बैटरी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, तरल सहित

पेट्रोलियम गैस या कोई अन्य ईंधन या ऊर्जा का स्रोत,

एक रूपांतरण किट, इस तरह के संशोधन के अधीन किया जाएगा

बशर्ते कि केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है अनुमोदन, पुनर्संयोजन और अन्य के लिए विनिर्देश शर्तें

इस तरह के रूपांतरण किट के लिए संबंधित मामले;

बशर्ते कि केंद्र सरकार छूट दे सकती है

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, एक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकृत कर सकती है -

और कम से कम दस परिवहन वाहनों के मालिक किसी भी व्यक्ति को अनुमति दें। उसके स्वामित्व वाले किसी भी वाहन को बदलना ताकि इंजन को बदला जा सके।

उसी प्रकार के इंजन के साथ, बिना

पंजीकरण प्राधिकरण का अनुमोदन।

(3) जहाँ बिना मोटर वाहन के कोई परिवर्तन किया गया हो। पंजीकरण प्राधिकरण की मंजूरी या प्रतिस्थापन के कारण

परिवर्तन करते हुए, पंजीकरण में परिवर्तन की सूचना दें प्राधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है और आगे बढ़ेगा

उस प्राधिकरण को पंजीकरण का प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क ताकि पंजीकरण का विवरण हो सके

(4) मूल पंजीकरण के अलावा एक पंजीकरण प्राधिकरण इस तरह की कोई भी प्रविष्टि करने वाला प्राधिकारी विवरण के बारे में सूचित करेगा

मूल पंजीकरण प्राधिकरण में प्रविष्टि।

(5) उप-धारा (1), (2), (3) के तहत किए गए प्रावधानों के अधीन

और (4), किराए पर वाहन रखने वाला कोई भी व्यक्ति-खरीद नहीं समझौता वाहन में कोई भी परिवर्तन करेगा सिवाय इसके कि

पंजीकृत मालिक की लिखित सहमति।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "परिवर्तन" का अर्थ है एक वाहन की संरचना में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तन होता है

इसकी मूल विशेषता "।

(जोर दिया गया)

14. केंद्रीय नियमों के नियम 126 के प्रोटोटाइप से संबंधित है

मोटर वाहन परीक्षण के अधीन होगा। नियम 126 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 126. प्रत्येक मोटर वाहन का प्रोटोटाइप जिसके अधीन होना चाहिए

परीक्षण। - सेंट्रल मोटर की शुरुआत की तारीख को और उससे

मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर] [पंजीकृत संघ सहित] (ई के लिए संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित)

भारत सरकार का रक्षा विभाग या मोटर वाहन अनुसंधान एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे, [या सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग]

और प्रशिक्षण संस्थान, बुडनी (एम. पी.)], या भारतीय प्रशिक्षण संस्थान

पेट्रोलियम, देहरादून, [या केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान ",

पुणे, या इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मानेसर, [या उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिसार (कंबाइन हार्वेस्टर के परीक्षण के लिए) और

ऐसी अन्य एजेंसियां जो केंद्र द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं

ए. आई. एस. के अनुसारः 017-2000 , समय-समय पर संशोधित किया गयाः] [बशर्ते कि पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में भारत में आयातित वाहनों के संबंध में, आयातक उस विशेष मॉडल और प्रकार का एक वाहन परीक्षण एजेंसियों को उस एजेंसी द्वारा अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में प्रमाण पत्र देने के लिए प्रस्तुत करेगा।]

[126 ए. नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियां केंद्र द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार

निर्माता की उत्पादन लाइन यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ये वाहन [अधिनियम की धारा 110 के तहत बनाए गए नियमों] के प्रावधानों के अनुरूप हैं। अधिनियम]:]

भारत में आयातित) एक वर्ष में छह महीने की किसी भी लगातार अवधि में 250 से कम हैं, तो ऐसे आधार मॉडल और इसके रूपों को उपरोक्त परीक्षण के अधीन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कम से कम एक मॉडल या उसके रूप उस निर्माता द्वारा निर्मित या आयातित हैं या आयातक, जैसा भी मामला हो, कम से कम इस तरह के परीक्षण के अधीन है।

साल में एक बारः

बशर्ते कि, यदि आधार मॉडल और इसके निर्मित/आयातित संस्करणों की संख्या एक से अधिक है और यदि व्यक्तिगत आधार मॉडल और इसके संस्करण किसी भी मामले में 250 से कम हैं।

एक वर्ष में लगातार छह महीने की अवधि, फिर परीक्षण एजेंसियां ऐसे मॉडल और उनके संस्करणों में से एक वाहन को ले सकती हैं इस तरह के परीक्षण करने के लिए वर्ष में एक बार।] "

15. नियम 93 मोटर वाहनों के समग्र आयाम से संबंधित है। यूले समग्र चौड़ाई, समग्र लंबाई और समग्र ऊंचाई यूले 93 (1) निर्धारित करता है जो समग्र चौड़ाई से संबंधित है। समग्र लंबाई के साथ नियम 93 (2)। 93 (4) समग्र ऊँचाई के साथ। नियम 93 (6) ओवरहैंग आदि के साथ।

भौगोलिक परिवहन अधिकारी v. के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]16. केरल मोटर क्लेस नियम, 1989 के प्रासंगिक नियम 96,103 और 261, वाहनों के निरीक्षण, रिकॉर्डिंग के लिए प्रावधान करते हैं।

शरीर और शरीर की संरचना को नीचे निकाला गया हैः

" 96. पंजीकरण से पहले वाहन का निरीक्षणः - (1) निरीक्षण अधिकारी। - पंजीकरण प्राधिकरण या ऐसा प्राधिकरण जो

सरकार नियुक्त आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 44 द्वारा आवश्यक वाहन का निरीक्षण करेगी।

(2) निरीक्षण के लिए वाहन का उत्पादनः - वाहन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

वाहन की भौतिक विशेषताओं के साथ आवेदन में निहित विवरणों की तुलनात्मक जांच के लिए और वाहन में उपयोग के लिए इसकी योग्यता का पता लगाने के लिए निरीक्षण अधिकारी के समक्ष पंजीकरण।

सार्वजनिक स्थान।

(3) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्टः - निरीक्षण अधिकारी विवरणों में आवश्यक परिवर्तन करने के बाद आवेदन में निहित, प्रविष्टियों की शुद्धता और वाहन की योग्यता के बारे में उसमें प्रमाणित करेगाः

बशर्ते कि किसी परिवहन वाहन के मामले में, या किसी अन्य वाहन के लिए जिसका निकाय कारखाना-निर्मित नहीं है या पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित एक रूढ़िबद्ध पैटर्न है, वह फॉर्म "एम. सी". में एक माप प्रमाण पत्र तैयार करेगा और जारी करेगा और

इन नियमों के अध्याय VII के तहत बैठने की व्यवस्था, आयाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों को दिखाने वाला एक रेखाचित्र। निरीक्षण अधिकारी एक साथ प्रत्येक माप प्रमाण पत्र और रेखाचित्र की एक प्रति संबंधित को भेजेगा।

पंजीकरण प्राधिकरण भी। 103. मोटर वाहन में परिवर्तन को दर्ज करनाः - (1) परिवर्तन की उपयुक्तता की पुष्टि करना-पंजीकरण प्राधिकरण को स्वयं या मोटर वाहनों के किसी अन्य निरीक्षक द्वारा वाहन के निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह संतुष्ट किया जा सके कि किया गया कोई भी परिवर्तन उपयुक्त है। वाहन का मालिक, मांग पर, निरीक्षण के लिए वाहन का उत्पादन करेगा।

(2) निरीक्षण अधिकारी प्रपत्र "एमसी" में एक नया माप प्रमाण पत्र तैयार करेगा और जारी करेगा और उसमें बैठने की व्यवस्था, आयाम आदि दिखाने वाला एक रेखाचित्र जारी करेगा, जैसा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में निरीक्षण पर पाया जाता हैः

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) मोटर में किए गए किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप

एक या अधिक वस्तुओं में दर्ज पंजीकरण का विवरण

1 , 3 , 11 , 13 & 19 पंजीकरण का प्रमाणपत्र अब नहीं है

सटीक। (ख) लोडिंग स्पेस की किसी भी पुनः व्यवस्था के परिणामस्वरूप या

सीटें, उनकी स्थिति या आयाम बदल दिए जाते हैं, हालांकि इस तरह व्यवस्था निर्दिष्ट पंजीकरण विवरणों को प्रभावित नहीं करती है

ऊपर खंड (ए) में।

261. शरीर की संरचनाः - प्रत्येक परिवहन वाहन का मुख्य भाग

अच्छी तरह से बनाया जाएगा और फ्रेम में सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा वाहन का और विनिर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो,

राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित।

(जोर दिया गया)

17. विवादित मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ

निर्णय में कहा गया है कि परिवर्तन पूरी तरह से निषिद्ध नहीं है। इसके अलावा, केरल नियमों के नियम 96 और 103 को देखते हुए, पंजीकरण प्राधिकरण वाहन की सड़क योग्यता और सुरक्षा पर विचार करने के लिए सक्षम है और इसे एक यांत्रिक अभ्यास नहीं माना जा सकता है। यह केवल यह सत्यापित करने के लिए नहीं है कि क्या माप प्रोटोटाइप परीक्षण आदि के अनुरूप है। नियम वाहन के आयामों के लिए प्रदान करते हैं। नियम 93 सक्षम नहीं करता है।

प्रोटोटाइप प्रमाणन करने का प्रावधान। केंद्रीय नियमों के नियम 47 (1) (जी) में निर्माताओं से फॉर्म 22 में और आवेदन करने के लिए बॉडी बिल्डरों से फॉर्म 22 ए में सड़क योग्यता प्रमाण पत्र पर विचार किया गया है। मोटर वाहनों का पंजीकरण। मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में शरीर को चेसिस पर बनाया जा सकता है। इसके नीचे फ्रेम किया गया। निर्माता या नियम 126 के तहत निर्दिष्ट अधिकारी चेसिस पर बनाए जाने वाले शरीर के आयामों या प्रकृति के बारे में कोई निर्देश नहीं देते हैं। रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई है और पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया है।

18. यह आग्रह विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने किया था।

न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होते हुए कि अधिनियम की धारा 52 और नियम 126 के साथ-साथ केरल नियमों में निहित प्रावधानों की उच्च न्यायालय द्वारा सही व्याख्या नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 52 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में नियमों के तहत परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। अधिनियम और नियमों के प्रावधान सड़कों और पर्यावरण पर सुरक्षा के उद्देश्य से अधिनियमित किए गए हैं और यह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय v नहीं है।

के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

अधिनियम के प्रावधानों के अवमूल्यन में वाहन को बदलने की अनुमति। उन्होंने कई निर्णयों का उल्लेख किया है और लंबित मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2017 और मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति की 243 वीं रिपोर्ट के उद्धरणों की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

धारा 52 में संशोधित प्रावधानों की व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने नियमों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 20. अविषेक गोयनका (1) v. भारत संघ और ए. एन. आर. (2012) 5 एस. सी. सी. 321, नियम 100 के संबंध में विचार के लिए एक प्रश्न आया

सुरक्षा के लिए एक मानक निर्धारित करने वाले केंद्रीय नियमों का। इस न्यायालय ने इसे एक वैध कानून माना। अधिनियम का उद्देश्य भी विचार के लिए आया और न्यायालय ने कहा कि "सार्वजनिक सुरक्षा" को उचित महत्व देने वाला विधायी इरादा अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से स्पष्ट है। अदालत को देना चाहिए कि

उन नियमों की व्याख्या जो विधायी इरादे और ऐसे नियमों को तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करती हैं, उन नियमों की वरीयता में जो नियमों को लागू करने के उद्देश्य को विफल करने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा और हित को कम करती हैं। इस न्यायालय ने केंद्रीय नियमों की धारा 52, नियम 92 और 100 में निहित प्रावधानों पर विचार किया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 18. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि नियम वाहन के निर्माण और रखरखाव के हर मिनट के विवरण से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, मानक, आकार और विनिर्देश जो

एक वाहन के निर्माता का पालन करना आवश्यक है जबकि

वाहन के निर्माण को नियमों के तहत पूरी तरह से निपटाया जाता है। जिसे अनुमति दी गई है, उसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है और जिसे विशेष रूप से नहीं कहा गया है, उसे स्पष्ट रूप से इन नियमों से बाहर माना जाएगा। न्यायालय के लिए इन वैधानिक प्रावधानों को पढ़ना न तो अनुमत होगा और न ही संभव होगा, जिनके लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। ये वे विनिर्देश हैं जो 1992 के निर्धारित आई. एस. संख्या 2553-भाग 2 के अनुरूप हैं और कुछ भी अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं है।

19. आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। नियम 104 की आवश्यकता है कि प्रत्येक

रात में सामने। 20. नियम 106 रोशनी के विक्षेपण से संबंधित है और यह आवश्यक है कि निर्माण उपकरण वाहन सहित किसी भी मोटर वाहन पर सामने की ओर प्रकाश दिखाने वाले किसी भी दीपक का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा दीपक ऐसा न हो।

इसका निर्माण, संयोजन और रखरखाव किया जाता है कि इससे उत्सर्जित प्रकाश की किरण स्थायी रूप से इस हद तक नीचे की ओर विक्षेपित हो जाए कि यह किसी भी व्यक्ति को चकाचौंध करने में सक्षम न हो जिसकी आंख की स्थिति दीपक आदि के सामने से 8 मीटर की दूरी पर हो। नियम 119 और 120 निर्दिष्ट करते हैं कि वाहन में हॉर्न और साइलेंसर को किस प्रकार, आकार और तरीके से लगाया जाना है।

21. ये प्रावधान नियमों में सूक्ष्मता की सीमा और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं के प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं, न कि केवल वाहन के निर्माण और रखरखाव का उचित तरीका

28. 'सार्वजनिक सुरक्षा' को उचित महत्व देने वाला विधायी इरादा अधिनियम के उद्देश्य और कारणों, अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से बनाए गए नियमों से स्पष्ट है। इसके नीचे। भले ही हम तर्क के लिए यह मान लें कि नियम 100 किसी भी व्याख्या में सक्षम है, तो भी इस न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या देनी चाहिए जो विधायी इरादे और ऐसे नियम बनाने के उद्देश्य को पूरा करेगी, जो नियमों को लागू करने के उद्देश्य को विफल करने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा और हित को कम करने वाली हो।

32. वर्तमान मामले में भी, भले ही कुछ व्यक्तिगत हित हों

पीड़ित होने की संभावना है, ऐसे व्यक्तिगत या निजी हितों को व्यापक सार्वजनिक हित में देना चाहिए। कानून का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। नियम अनिवार्य हैं और किसी के पास नहीं है

के प्रयोजनों के लिए इन नियमों को ढालने के लिए कानून में प्राधिकरण सुविधा या विलासिता और निश्चित रूप से अपराध के लिए नहीं।

21. यह देखा गया है कि नियम वाहन के निर्माण और रखरखाव के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। नियम सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ भी व्यवहार करते हैं। यदि कुछ व्यक्तिगत हित की संभावना है, तो ऐसे व्यक्तिगत हित को व्यापक जनता के लिए रास्ता देना चाहिए।

यह है।

भौगोलिक परिवहन अधिकारी v. के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

22. इस मुद्दे पर आगे विस्तार करने से पहले हम इस पर ध्यान देते हैं -

आर. रामासामी बनाम। सचिव, परिवहन मंत्रालय,

नई और ओआरएस। (2009) 1 Mad.LJ 1027 जिसमें मद्रास उच्च न्यायालयअधिनियम 27 द्वारा संशोधित धारा 52 (1) (ए) के प्रावधानों पर विचार किया गया।

और इस प्रकार राय दी हैः

एक अलग प्रकार के ईंधन द्वारा संचालन। पुराने अधिनियम की धारा 32 (2) को प्रावधान के साथ नए अधिनियम की धारा 52 (2) के रूप में फिर से अधिनियमित किया गया था। पुराने अधिनियम की धारा 32 (1) और 32 (2) के अनुसार, नए अधिनियम की धारा 52 (1) और 52 (2) के अनुरूप, कोई भी परिवर्तन करने से पहले, मालिक को नोटिस देना आवश्यक था

पंजीकरण प्राधिकरण और अनुमति प्राप्त करें। पंजीकरण

प्राधिकरण को सात दिनों के भीतर अपनी मंजूरी या अस्वीकृति को सूचित करने की आवश्यकता थी और यदि सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसा कोई संचार नहीं किया गया था, तो प्रस्तावित परिवर्तन के लिए ऐसे प्राधिकरण की मंजूरी दी गई थी। नए अधिनियम की धारा 52 (3) के अनुरूप पुराने अधिनियम की धारा 32 (3) में एक सक्षम प्रावधान था जिसके तहत राज्य सरकार कर सकती थी।

दस या अधिक परिवहन वाहन रखने वाले मालिकों को अधिकृत करें बिना इंजन के ऐसे इंजन को बदलकर अपने इंजन नंबर को बदलें।

पंजीकरण प्राधिकरण का अनुमोदन। नए अधिनियम की धारा 52 (4) के अनुरूप पुराने अधिनियम की धारा 32 (4) में वाहन के मालिक पर यह कर्तव्य लगाया गया है कि वह पुराने अधिनियम की धारा 32 (2) के तहत वास्तविक या मानित अनुमोदन के साथ किए गए परिवर्तन की रिपोर्ट करे।

नए अधिनियम की धारा 52 (2) के अनुरूप या पुराने अधिनियम की धारा 32 (3) के तहत विचार किए गए अनुमोदन के बिना अधिनियम नए अधिनियम की धारा 52 (3) के अनुरूप "ताकि

परिवर्तन का विवरण प्रमाण पत्र में दर्ज किया जा सकता है

पंजीकरण "। नए अधिनियम की धारा 52 (5) के अनुरूप पुराने अधिनियम की धारा 32 (5) में यह परिकल्पना की गई है कि पंजीकरण प्राधिकरण

इस तरह की कोई भी प्रविष्टि करने के लिए मूल पंजीकरण प्राधिकरण को प्रविष्टि का विवरण देना चाहिए। नए अधिनियम की धारा 52 (6)

इसमें एक नया प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति

किराया खरीद समझौते के तहत वाहन [2019] 1 एस. सी. आर. नहीं बना सकता है।

पंजीकृत स्वामी की लिखित सहमति के बिना नए अधिनियम की धारा 52 (1) में विचार किए गए परिवर्तन।

8.5 2000 के अधिनियम 27 के तहत नए अधिनियम की धारा 52 के संशोधन के बाद, धारा 52 (1) को महत्वपूर्ण संशोधन के साथ धारा 52 (1) के रूप में बरकरार रखा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रावधान

संशोधित अधिनियम में सूचना देने और पंजीकरण प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित नए अधिनियम की धारा 52 (1) (ए) और (बी) के अनुरूप पुराने अधिनियम की धारा 32 (1) (ए) और (बी) को हटा दिया गया है। संशोधित धारा में नोटिस देने या अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। नए अधिनियम की धारा 52 (1) के पहले प्रावधान में कहा गया है -

इंजन के संशोधन से संबंधित नए अधिनियम की धारा 52 (1) के दूसरे परंतुक को भी हटा दिया गया है और संशोधित अधिनियम की धारा 52 (1) के पहले परंतुक के रूप में फिर से अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा, धारा 52 (1) में दो अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं।

चूंकि नए अधिनियम की धारा 52 (1) (ए) और (बी) में नोटिस जारी करने और अनुमोदन से संबंधित पहले के प्रावधान किए गए हैं।

हटा दिया गया। नए अधिनियम की धारा 52 (2), जो सात दिनों की समाप्ति पर मानित अनुमोदन से संबंधित है, को भी हटा दिया गया है और धारा

52 (3) नए अधिनियम को संशोधित अधिनियम की धारा 52 (2) के रूप में पुनर्नामित किया गया है। नए अधिनियम की धारा 52 (4) को संशोधित अधिनियम की धारा 52 (3) के रूप में कुछ परिवर्तनों के साथ फिर से अधिनियमित किया गया है, जिसमें मालिक को पंजीकरण प्राधिकरण को परिवर्तन के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। नए अधिनियम की धारा 52 (4) के तहत, मालिक को या तो किए गए परिवर्तन के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी।

पंजीकरण प्राधिकरण के अनुमोदन या मानित अनुमोदन के साथ, या ऐसे अनुमोदन के बिना इंजन के प्रतिस्थापन के कारण, उस पंजीकरण प्राधिकरण को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता था, और निर्धारित शुल्क के साथ उस प्राधिकरण को पंजीकरण का प्रमाण पत्र भेजेगा ताकि उसमें परिवर्तन का विवरण दर्ज किया जा सके।

8.6 प्रावधानों की एक मिनट की जांच से यह स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति "परिवर्तन का विवरण उसमें दर्ज किया जा सकता है"

जैसा कि नए अधिनियम की धारा 52 (4) में निहित है, अब संशोधित अधिनियम में "पंजीकरण का विवरण उसमें दर्ज किया जा सके" के रूप में पढ़ा जाता है। यह स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियम में "पंजीकरण" शब्द एक स्पष्ट टंकण संबंधी गलती है, जिसे अनजाने में "भौगोलिक परिवहन कार्यालय" शब्द के बजाय शामिल कर लिया गया है।

के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

पंजीकरण। 8.7 नए अधिनियम की धारा 52 (5) और 52 (6) को अब संशोधित अधिनियम की धारा 52 (4) और 52 (5) के रूप में फिर से अधिनियमित किया गया है।

क्रमशः। हालाँकि, संशोधित अधिनियम में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, जो पुराने अधिनियम या नए अधिनियम में अनुपस्थित था। स्पष्टीकरण इस आशय का है कि, धारा 52 के उद्देश्य के लिए, "परिवर्तन" का अर्थ है वाहन की संरचना में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप इसकी मूल विशेषता में परिवर्तन होता है।

9. संशोधित अधिनियम की धारा 52 (1) स्पष्ट रूप से बहुत सुखद नहीं है।

अधिनियम निर्माता द्वारा मूल रूप से निर्दिष्ट अधिनियमों से भिन्न होते हैं। जब प्रावधान को स्पष्टीकरण के आलोक में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि जिन परिवर्तनों या संशोधनों के परिणामस्वरूप मूल विशेषता में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें संशोधित अधिनियम की धारा 52 के अर्थ के भीतर परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 11.1 संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पुराने अधिनियम और नए अधिनियम में निहित प्रासंगिक प्रावधानों की तुलना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विधानमंडल ने मोटर वाहन में किए गए प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन से संबंधित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वास्तव में, 1988 का अधिनियम

स्वयं को इस तरह से संशोधित किया गया है कि इसे अनावश्यक बना दिया जाए।

इस तरह के मामूली परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति लेने के लिए। इसके अलावा, प्रत्येक मामूली परिवर्तन या संशोधन को आवश्यक रूप से संशोधित अधिनियम की धारा 52 के अर्थ के भीतर एक परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाता है। वर्तमान मामले में आर. टी. ओ. ने व्यावहारिक रूप से उन प्रावधानों को लागू किया है जो संशोधन से पहले उपलब्ध थे। इस तरह के संशोधन पर ध्यान दिए बिना 2000 में लागू किया गया था। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि वाहन में परिवर्तन की अनुमति नहीं है जो पंजीकरण के प्रमाण पत्र में निहित विवरणों से भिन्न हो सकता है जिसमें वाहन के महत्वपूर्ण विवरण और अनुमेय परिवर्तन या संशोधन शामिल हैं और जिनके परिणामस्वरूप मूल विशेषता में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें संशोधित अधिनियम की धारा 52 के अर्थ के भीतर परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

1.2.2010 यह भी उल्लेख किया गया है कि वाहन में परिवर्तन का प्रश्न विचार के लिए आया था। यात्री वाहन था एम. वी. अधिनियम की धारा 2 (17) में परिभाषित के अनुसार खरीदा गया। याचिकाकर्ता इसे उस वाहन में बदलना चाहता था जिसे एक जनरेटर सेट लगाकर सिनेमा की बाहरी इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वाहन के चेसिस या बॉडी में कोई बदलाव नहीं किया है क्योंकि निर्माता ने केवल चेसिस का निर्माण किया है।

वाहन की चेसिस और न कि इसकी अधिरचना। सीटों के स्थान पर यात्रियों के लिए, याचिकाकर्ता केवल एक जनरेटर फिट कर रहा था जिसमें परिवर्तन की अनुमति थी। धारा 52 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

25. मोहम्मद में निर्णय। जावीद वी. भारत संघ और अन्य। (2001) 9 ALD 88 = 2009 1 ALT 507 को विद्वान न्यायमित्र द्वारा भी संदर्भित किया गया है। उक्त मामले में चेसिस को बदल दिया गया था। अदालत ने माना कि चेसिस एक मोटर वाहन का आधार ढांचा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वाहन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या चेसिस का परिवर्तन वाहन की संरचना में परिवर्तन के बराबर होगा। दुर्घटना के कारण प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया। कोई और नहीं था

दुर्घटना के कारण चेसिस को हुए नुकसान के कारण बैंक और परिवर्तन आवश्यक हो गया। इस प्रकार पंजीकरण से इनकार को कानूनी रूप से गलत माना गया और अलग कर दिया गया। वास्तव में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था उक्त मामले में प्रतिस्थापन को छोड़कर चेसिस।

26. वी. एन. धर्माकृष्णन बनाम में निर्णय। डिप्टी

परिवहन आयुक्त, एआईआर 2006 मैड।

वाहक को एम्बुलेंस के रूप में बदला जा सकता है। न्यायालय ने इसे एम. वी. अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन और माल परिवहन का उपयोग करने के रूप में माना। एक एम्बुलेंस जिसके लिए परमिट पहले ही रद्द कर दिया गया था, को इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है कि 5 वां प्रतिवादी कुछ मुफ्त सेवा प्रदान कर रहा था। निर्णय अपने तथ्यों पर बदल गया।

27. अधिनियम 27/2000 द्वारा धारा 52 (1) के संशोधन का उद्देश्य परिवर्तन सहित किसी वाहन के परिवर्तन को प्रतिबंधित करना है।

निर्माता द्वारा निर्दिष्ट "। उप-धारा (1) का परंतुक किसी अन्य प्रकार के ईंधन या बैटरी सहित ऊर्जा के स्रोत द्वारा उसके संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी वाहन के इंजन या उसके किसी भाग के संशोधन की अनुमति देता है, इस तरह के संशोधन को ऐसी शर्तों के अधीन किया जा सकता है जो निर्धारित की जाएं। धारा 52 (1) का दूसरा प्रावधान केंद्र सरकार को ऐसे रूपांतरण किटों के लिए विनिर्देशों, अनुमोदन की शर्तों, पूर्व-फिटमेंट और अन्य संबंधित मामलों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार के पास छूट देने की शक्ति है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वाहनों के परिवर्तन के लिए। धारा 52 (2) राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने और किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व की अनुमति देने के लिए अधिकृत करती है।

उसके स्वामित्व वाले किसी भी वाहन को बदलने के लिए कम से कम 10 परिवहन वाहन, ताकि पंजीकरण प्राधिकरण की मंजूरी के बिना 'इंजन' को उसी प्रकार के इंजन से बदला जा सके। धारा 52 (3) में प्रावधान है कि जहां परिवर्तन पंजीकरण प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया गया है, जाहिर है कि जो मोटर वाहन में अनुमेय है, वाहन के मालिक को पंजीकरण के विवरण में प्रविष्टि करने के लिए 14 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। धारा 52 (2), (3), (4) और (5) के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 52 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "परिवर्तन" का अर्थ है वाहन की संरचना में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप इसकी मूल विशेषता में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन मूल विशेषताओं को नहीं बदलते हैं, वे परिवर्तन के दायरे से बाहर हैं।

28. संशोधित धारा 52 का उद्देश्य और स्पष्ट आशय यह है कि वाहन को इस तरह से बदला नहीं जा सकता है कि विवरण में निहित हो

पंजीकरण का प्रमाण पत्र "मूल रूप से निर्माता द्वारा निर्दिष्ट" प्रमाण पत्रों से भिन्न होता है। निर्माता फॉर्म [2019] 1 एस. सी. आर. में बिक्री प्रमाण पत्र जारी करता है।

21 जिसे केंद्रीय नियमों के नियम 47 (1) (ए) के तहत तैयार किया गया है। नियम 47 (1) (ए) को नीचे निकाला गया हैः

" 47. मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन। ▬▬ (1) मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा।
ऐसे वाहन की डिलीवरी लेने की तारीख से 1 [सात दिनों] की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को फॉर्म 20, इसके अलावा

यात्रा की अवधि और साथ में होगी
(क) प्रपत्र 21 में बिक्री प्रमाण पत्र;

29. विवरण निर्माता द्वारा निर्दिष्ट किए जाने हैं। मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र में दाखिल करना होगा।

20. इसे निर्माता द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए या विक्रेता आदि, जैसा भी मामला हो, नियम 47 (1) (ए) और (डी) में दिया गया है। फॉर्म 20 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन

(यदि वाहन किराए के समझौते के तहत आयोजित किया जाता है तो डुप्लिकेट में बनाया जाना-खरीद पट्टा/हाइपोथेकेशन और पंजीकरण प्राधिकरण के समर्थन के साथ एक डुप्लिकेट प्रति मोटर वाहन के पंजीकरण पर एक साथ फाइनेंसर को वापस की जानी चाहिए) को।

पंजीकरण प्राधिकरण,

1. पंजीकृत व्यक्ति का पूरा नाम

मालिक का बेटा पत्नी की बेटी

2. पंजीकृत स्वामी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति की आयु

3. स्थायी पता।

(निर्वाचक नामावली जीवन बीमा पॉलिसी/केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पासपोर्ट भुगतान पर्ची/दस्तावेजों पर कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाए जिसे संलग्न किया जाए)

5. वर्तमान पते पर ठहरने की अवधि 6. पैन संख्या (वैकल्पिक)

.....

....

7. जन्म स्थान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी v. के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

8. यदि जन्म स्थान भारत से बाहर है, जब भारत में प्रवास किया गया हो

9. (छोड़ दिया गया)

10. विक्रेता या निर्माता का नाम और पता

जिनसे वाहन खरीदा गया था (बिक्री प्रमाण पत्र)

और द्वारा जारी सड़क योग्यता का प्रमाण पत्र

निर्माता को संलग्न किया जाना है)

11. यदि पूर्व-सेना वाहन या आयातित वाहन है, तो प्रमाण संलग्न करें।

यदि स्थानीय रूप से निर्मित ट्रेलर अर्ध-ट्रेलर है, तो इसे संलग्न करें

राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा डिजाइन की मंजूरी और

कार्यवाही संख्या और अनुमोदन की तारीख को नोट करें

12. वाहन का वर्ग (यदि मोटरसाइकिल हो, चाहे वह गियर के साथ हो या बिना वाहन है 13. मोटर .....

((क) नया वाहन,

(ख) पूर्व-सेना वाहन,

|

((c) आयातित वाहन

(घ) ई-रिक्शा या ई-कार्ट का उपयोग करें।

15. वाहन का प्रकार 16. निर्माता का नाम .....

18. सिलेंडरों की संख्या 19. घोड़े की शक्ति

22. चेसिस नं. (एफिक्स पेंसिल प्रिंट) 23. के मामले में इंजन संख्या या मोटर संख्या बैटरी चालित वाहन

24. बैठने की क्षमता (चालक सहित)

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. अधूरे वजन 27. पिछले पंजीकरण और पंजीकृत संख्या (यदि कोई हो) का विवरण

28. शरीर के पंखों और सामने के छोर का रंग या रंग

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मोटर वाहन भारत के किसी भी राज्य में पंजीकृत नहीं है।

अतिरिक्त भागीदारों को केवल परिवहन के मामले में ही पूरा किया जाएगा

मोटर कैब की तुलना में अन्य वाहन

29. निर्माता द्वारा घोषित टायरों की संख्या, विवरण, आकार और प्लाई रेटिंग

(a) अग्र अक्ष =

((b) पीछे की धुरी =

((c) कोई अन्य धुरी =

एच.

(घ) टेंडम एक्सल =..... ... .

30. वाहन का सकल वजन

(क) निर्माता द्वारा प्रमाणित। किलोग्राम

केजीएम 3

(ख) पंजीकृत होना।

31. अधिकतम एक्सल वजन

(a) अग्र अक्ष =

. ... किलोग्राम।

(ख) पीछे की धुरी।

..... जीएमएस

(ग) कोई अन्य धुरी।

.....किलोग्राम

(घ) टेंडम एक्सल =

.....किलोग्राम

32. ((a) कुल लंबाई।

(ख) समग्र चौड़ाई।

((c) समग्र ऊँचाई

(घ) ओवर हैंग

उपरोक्त विवरण तीन या अधिक एक्सलों के एक आर्टिकुलेटेड वाहन के लिए दो या अधिक एक्सलों के एक कठोर फ्रेम मोटर वाहन के लिए या, लागू होने तक, ट्रेलर के लिए भरे जाने हैं, जहां एक दूसरे सेमी ट्रेलर या अतिरिक्त सेमीट्रेलर को आर्टिकुलेटेड मोटर वाहन के साथ पंजीकृत किया जाना है। ऐसे प्रत्येक अर्ध-ट्रेलर के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी v. के. जयक [अरुण मिश्रा, जे.]

33. शरीर का प्रकार

34. अधूरे वजन

35. प्रत्येक एक्सल पर टायरों की संख्या, विवरण और आकार

36. प्रत्येक धुरी के संबंध में अधिकतम धुरी भार

37. वाहन अधिनियम के अध्याय XI के तहत बीमा के एक वैध प्रमाण पत्र द्वारा कवर किया गया है।

बीमा प्रमाणपत्र या

नहीं।

तिथि.

से

(कंपनी का नाम) वैध

संबंधित आदेश संलग्न है 39.मैंने रुपये का निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया है।

तिथि.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान o

पंजीयक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति

ध्यान दें कि ऊपर वर्णित मोटर वाहन है

किराया के अधीन-के साथ खरीद समझौता पट्टा समझौता

(i) के पक्ष में परिकल्पना के अधीन। ((ii) किराया-खरीद समझौते, या पट्टा समझौते या हाइपोथेकैट के अधीन नहीं है।

यदि वाहन ऐसे किसी समझौते के अधीन है, जिसके साथ ऐसा समझौता किया गया है, तो उस वित्तपोषक को प्राप्त किया जाना है।

उस वित्तपोषक का हस्ताक्षर जिसके साथ

रेग का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

किराया समझौता-खरीद, पट्टा

मालिक

या हाइपोथेकेशन में प्रवेश किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोटर वाहन के निरीक्षण का प्रमाण पत्र

तिथि. रेफ. नहीं।

निरीक्षण प्राधिकरण के हस्ताक्षर

नाम.

पदनाम।

कार्यालय समापन

कार्यालय...

उपर्युक्त मोटर वाहन को पंजीकरण संख्या दी गई है और आवेदक के नाम पर पंजीकृत किया गया है और वाहन ऊपर उल्लिखित वित्तपोषक के साथ किराया-खरीद पट्टा परिकल्पना के समझौते के अधीन है।

तिथि. ... .

अ.

पंजीकरण प्राधिकरण के हस्ताक्षर

को।

द फाइनेंसर।

(पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा भेजा जाना है)

पंजीकृत स्वामी और वित्तपोषक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा फॉर्म 23 और 24 में कार्यालय की मुहर के साथ चिपकाने और सत्यापन के लिए मूल आवेदन में इस तरह से प्राप्त की जानी चाहिए कि प्रत्येक हस्ताक्षर पर मुहर या डाक टिकट और प्रमाणन की छाप का हिस्सा पड़े। वित्तपोषक के नमूना हस्ताक्षर

पंजीकृत मालिक का नमूना हस्ताक्षर

1) .....

2) .....

11

30. नियम 47 (ए) और (डी) में दिए गए फॉर्म 21 में निर्माता द्वारा दायर बिक्री प्रमाण पत्र होता है जिसे नीचे निकाला गया हैः

" फॉर्म 21

बिक्री प्रमाण पत्र

निर्माता या विक्रेता या पंजीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट एसोसिएशन (रिक्शा या ई-कार्ट के मामले में) या रक्षा विभाग के अधिकारी (सैन्य नीलाम किए गए वाहनों के मामले में) द्वारा मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ जारी किया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी v. के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

इसे प्रमाणित किया।

(वाहन का ब्रांड नाम) हमारे द्वारा दिया गया है

(तिथि)

पर।

खरीदार का नाम।

बेटा/पत्नी की बेटी।

पता (स्थायी)।

(अस्थायी)

वाहन किराए के समझौते के तहत आयोजित किया जाता है-खरीद/पट्टा/परिकल्पना

के साथ।

वाहन का विवरण नीचे दिया गया हैः 1. वाहन का वर्ग।

2.निर्माता का नाम। 3. चेसिस नं.

4. [बैटरी संचालित होने के मामले में इंजन संख्या या मोटर संख्या

वाहन]

... .

7.सिलेंडरों की संख्या 8.निर्माण का महीना और वर्ष

9. बैठने की क्षमता (चालक सहित)।

10. अधूरे वजन

11. अधिकतम एक्सल वजन और टायरों की संख्या और विवरण (परिवहन वाहन के मामले में)

((a) अग्र अक्ष।

(ख) पीछे का एक्सल

((c) कोई अन्य धुरी

(घ) टेंडम एक्सल

12. शरीर का रंग या रंग।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. वाहन का सकल वजन

14. शरीर का प्रकार।

[निर्माता या विक्रेता या रक्षा विभाग के अधिकारी या पंजीकृत ई-रिक्शा या

ई-कार्ट एसोसिएशन]

* जो भी लागू नहीं हो, उसे हटा दें "।

31. पंजीकरण का प्रमाण पत्र फॉर्म 23 में जारी किया जाना चाहिए जैसा कि केंद्रीय नियमों के नियम 48 में दिया गया है। नियम 48 नियम 47 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है। नियम 48 निकाला गया है।

इसके नीचेः

" 48. पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना। नियम 47 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण प्राधिकरण, धारा 44 के प्रावधानों के अधीन, मोटर वाहन के मालिक को फॉर्म 23 या फॉर्म 23 ए में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा, जैसा कि संबंधित राज्य द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन [ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर]: [बशर्ते कि जहां पंजीकरण का प्रमाण पत्र किसी परिवहन वाहन से संबंधित है, उसे फॉर्म 38 में योग्यता प्रमाण पत्र दर्ज करने के बाद ही पंजीकृत मालिक को सौंप दिया जाएगा।

आवेदन]। "

32. वाहन को केंद्रीय नियमों के अध्याय V में निहित नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा जैसा कि नियम 92 (1) में प्रदान किया गया है। नियम 92 (1) को अधिनियम की धारा 52 में निहित प्रावधानों के अधीन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसकी अनुमति देने के लिए उसमें जो निषिद्ध है वह अध्याय में निहित नियमों का इरादा नहीं है। अध्याय 5 के विभिन्न प्रावधान धारा में निषिद्ध चीज़ों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हैं।

52 (1) कहने का मतलब है, निर्माताओं द्वारा मूल रूप से क्या निर्दिष्ट किया गया है और एक बार जो प्रमाण पत्र में विवरणों में दर्ज किया गया है पंजीकरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। निर्माता द्वारा बनाए गए मूल विनिर्देश को बदलने के लिए किसी भी वाहन को बदला नहीं जा सकता है।

इस तरह के विवरण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नहीं हो सकते हैं। के. जयचंद्र [अरुण मिश्रा, जे.]

परिवर्तित जो निर्माता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के उद्देश्य से निर्दिष्ट किए गए हैं। यह केंद्रीय नियमों के नियम 126 में प्रदान किया गया है, हर प्रकार के वाहन का प्रोटोटाइप परीक्षण के अधीन है। नियम 126 के प्रावधानों का उद्देश्य उन एजेंसियों द्वारा सड़क पर वाहन की योग्यता निर्धारित करना है जो उसमें निर्दिष्ट हैं। स्वीकृति और

इन नियमों के अनुपालन के लिए मोटर वाहनों का प्रमाणन इस प्रकार होगा -

ए. आई. एस. के अनुसारः 017-2000 . नियम 93 मोटर वाहनों के समग्र आयामों जैसे चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ओवरहैंग आदि से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाहन को नियमों के अनुरूप भी होना चाहिए, लेकिन नियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि परिवर्तन की अनुमति दी जा सके। अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत निषिद्ध। नियमों के तहत परिवर्तन

धारा 52 द्वारा निषिद्ध को छोड़कर अनुमेय है। नियमों का विनिर्देशन उन मामलों के संबंध में अच्छा रहेगा जो धारा 52 (1) के तहत विशेष रूप से शामिल नहीं हैं और निर्माता द्वारा उसमें निर्दिष्ट नहीं हैं। धारा 52 (1) का जोर "निर्माता द्वारा मूल विनिर्देशों" को बदलना नहीं है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र में शेष विवरणों को संशोधित और बदला जा सकता है और धारा 52 (2), (3) और (5) और नियमों में दिए गए पंजीकरण के प्रमाण पत्र में नोट किया जा सकता है। धारा 52 (5) के तहत, यदि कोई व्यक्ति किराए की खरीद पर वाहन रखता है

समझौते में, वह मूल मालिक की लिखित सहमति के अलावा कोई बदलाव नहीं करेगा।

33. हमारी सुविचारित राय में डिवीजन बेंच केरल उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को लागू करने में विफल रही है

धारा 52 (1) में निहित प्रावधान और केवल नियमों पर जोर दिया गया है। इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय को कानून को सही ढंग से निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। नियम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं और पंजीकरण के प्रमाण पत्र में विवरण भी बदले जा सकते हैं, सिवाय निर्माता द्वारा मूल रूप से किए गए विनिर्देशों के अनुसार उसी में की गई प्रविष्टियों की सीमा के। परिपत्र संख्या 7/2006 को भी इसी भाव से पढ़ा जाना चाहिए। अधिकारी उसी के अनुसार कार्य करें।

34. नतीजतन, विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलों की अनुमति है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी